झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

क्रिमिनल रिभीजन सं0–2 वर्ष 2018

जितेंद्र यादव .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. संगीता कुमारी .... विपक्षीगण

उपस्थित : **माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री आशिम कुमार साहनी, अधिवक्ता।

राज्य के लिए:– श्री विनय कुमार तिवारी, ए0पी0पी0।

विपक्षी पक्ष सं0–2 के लिए :–श्री पी0सी0 सिन्हा, अधिवक्ता

8 / दिनांकः 28.03.2018

याचिकाकर्त्ता के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आशिम कु0 साहनी, राज्य के विद्वान ए0पी0पी0 श्री विनय कुमार तिवारी एवं विपक्षी पक्ष सं0–2 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पी0सी0 सिन्हा को सुने।

याचिकाकर्त्ता जमुआ थाना काण्ड संख्या–238 वर्ष 2017 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, गिरिडीह द्वारा पारित दिनांक 14.12.2017 के फैसले से व्यथित है, जिसके द्वारा याचिकाकर्त्ता द्वारा उसे किशोर घोषित करने के लिए दाखिल की गई आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री साहनी द्वारा निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्त्ता का जन्मतिथि मैट्रिक के प्रमाणपत्र में 18.08.2002 उल्लेख किया गया है।

झारखण्ड अकादमिक परिषद्, राँची द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर भरोसा रखा गया है और यह कहा गया है कि याचिकाकर्त्ता का जन्मतिथि 18.08.2002 को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्त्ता घटना की तारीख को वास्तव में एक किशोर था। विद्वान अधिवक्ता यह निवेदन करते हैं कि निचली अदालत ने याचिकाकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र को अलग करते हुए प्रवेश रजिस्टर पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया है, यह निष्कर्ष निकालते समय कि याचिकाकर्त्ता घटना की तारीख को किशोर नहीं था।

विपक्षी पक्ष सं0–2 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पी0सी0 सिन्हाने प्रति शपथ–पत्र का उल्लेख किया है और कहा है कि प्रवेश के समय याचिकाकर्त्ता के जन्म की तारीख 18.08.1999 दर्ज थी और इसलिए, याचिकाकर्त्ता घटना की तारीख पर किशोर नहीं था।

स्कूल जिसमें याचिकाकर्त्ता सर्वप्रथम दाखिला ली थी, के द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र से प्रतीत होता है कि उसकी जन्मतिथि 18.08.2002 दर्शाई गई है और स्कूल में प्रवेश दिनांक 09.04.2004 है जिसका अर्थ है कि याचिकाकर्त्ता स्कूल में प्रवेश के समय एक साल आठ महीने से कम था। प्रवेश रजिस्टर के अंश को प्रति शपथ–पत्र के रिकॉर्ड में लाया गया है एवं इसके साथ–साथ संबंधित स्कूल का प्रभारी प्रिंसिपल द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी लाया गया है, जिससे पता चलता है कि प्रवेश रजिस्टर में क्रम सं0–26 पर याचिकाकर्त्ता के जन्म की तारीख 18.08.1999 के रूप में उल्लेख किया गया है। यद्यपि याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र का उल्लेख किया है, लेकिन उक्त प्रमाण पत्र में उपस्थित व्यापक विसंगति और याचिकाकर्त्ता का प्रथम स्कूल द्वारा दिए

गए प्रमाण पत्र एवं गवाहों के साक्ष्य के द्वारा समर्थित, के मद्देनजर यह पता चलता है कि याचिकाकर्त्ता के जन्म की तारीख 18.08.1999 है और न कि 20.08.2002 है जैसा कि याचिकाकर्त्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा सुझाया गया है।

इसलिए, निचली अदालत ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों की उचित मूल्यांकन कर याचिकाकर्त्ता द्वारा दाखिल की गई आवेदन को खारिज कर दिया है। मुझे उक्त आदेश से असहमत होने का कोई कारण नहीं मिलता है और तद्नसार इस आवेदन को खारिज कर दिया जाता है।

ह0

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)